



## वपिो कॉपीराइट संधि और वपिो परफॉरमेंस एंड फोनोग्राम संधि के प्रस्तावों को मंजूरी

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वपिो कॉपीराइट संधि तथा वपिो परफॉरमेंस एंड फोनोग्राम संधि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

### प्रमुख बिंदु

- इन संधियों के अंतर्गत इंटरनेट और डिजिटल कॉपीराइट भी शामिल हैं।
- 12 मई, 2016 को सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून (आईपीआर) में उल्लिखित उद्देश्य की पूर्ति की दशा में यह मंजूरी एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इसका उद्देश्य वाणज्यिक उपयोग के ज़रिए आईपीआर का लाभ प्राप्त करना है।
- इसके लिये ईपीआर (End Point Responsibility) के मालिकों को इंटरनेट और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अवसरों के संबंध में दशा-निर्देश व सहायता प्रदान की जाती है।

### लाभ

- अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट प्रणाली के ज़रिये रचनात्मक अधिकार धारकों को उनके श्रम का मूल्य प्राप्त होगा।
- घरेलू कॉपीराइट धारकों को अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट धारकों के समान सुरक्षा सुविधा मिलेगी।
- दूसरे देशों में प्रतिसिपर्द्धा का समान अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि भारत विदेशी कॉपीराइट को मान्यता देता है।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रचनात्मक उत्पादों के निर्माण और वितरण में किये जाने वाले निवेश पर लाभ प्राप्त होगा और इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।
- व्यापार में वृद्धि होगी और एक रचना आधारित अर्थव्यवस्था तथा एक सांस्कृतिक परदृश्य का विकास होगा।

### वपिो कॉपीराइट संधि और वपिो परफॉरमेंस एंड फोनोग्राम संधि

- वपिो कॉपीराइट संधि 6 मार्च, 2002 को लागू हुई थी और अब तक 96 अनुबंध पक्षों द्वारा अपनाई जा चुकी है।
- यह बर्न कन्वेंशन (साहित्यिक और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा के लिये) के तहत एक विशेष समझौता है।
- वपिो परफॉरमेंस एंड फोनोग्राम संधि 20 मई, 2002 को लागू हुई थी और इसके 96 सदस्य हैं।
- यह दो प्रकार के लाभार्थियों (खासकर डिजिटल पर्यावरण) के अधिकारों से संबंधित है जिसमें- पहले, कलाकार (अभिनेता, गायक, संगीतकार इत्यादि) और दूसरे, फोनोग्राम के निर्माता (ध्वनि रिकॉर्डिंग करने वाले) हैं।
- दोनों ही संधियाँ रचनाकारों को तकनीकी सुविधाओं का उपयोग करते हुए रचनाओं को सुरक्षित रखने के लिये फ्रेमवर्क उपलब्ध कराती हैं।